ऋण वापसी / प्रत्याह्वान सूचना पत्र



ूबनाम

Ref. No.: 5418808/LRN/2022

* R M 5 6 9 1 3 6 8 7 1 I N *

दिनाक — 15-Feb-23

157

SUMER JI C/O SUKHDEV BORROWER BHUKANA JHUNJHUNU 874, JHUNJHUNU, JHUJHUNU JHUJHUNU 332746 Rajasthan

(Borrower):- SUMER JI C/O SUKHDEV

BHUKANA JHUNJHUNU 874, JHUNJHUNU, JHUJHUNU JHUJHUNU 332746 Rajasthan

(Co-Borrower 01):-SUNITA KUMARI C/O SUMER SINGH

WARD NO.08, BHUKANA JHUNJHUNU RAJASTHAN 297 WARD NO.08 Jhunjhunu Jhunjhunu 333026 Rajasthan

(Co-Borrower 02):- NIL (Co-Borrower 03):- NIL

(GTR 01):- HEERA SINGH C/O AMAR SINGH

SHRI AMARPURA KITHANA JHUNJHUNU 297, SHRI AMARPURA, Jhunjhunu, Jhunjhunu 333028 Rajasthan

(GTR 02):-NIL (GTR 03):-NIL महोदय / महोदया,

यह कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा आज दिनांक से पूर्व मे दिया गया लोन रीकोल नोटिस निरस्त करते हुए उक्त नोटिस प्रेषित कर आपको इस ऋण वापसी बाबत सुचना पत्र के जरिये प्रार्थी कंपनी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रिज. कार्यलय जी01 जी 02 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से निम्न प्रकार सूचित एवं आगाह किया जाता है—

- यह कि प्रार्थी एक गैर बैकिंग विस्तिय कंपनी है जो विभिन्न प्रकार की विस्तिय सुविधा उपलब्ध करवाती है व कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है ।
- यह कि आपने स्वयं की जरूरतों के संदर्भ में ऋण पर वित्तिय सुविधा लेने हेतु कंपनी से सम्पर्क कर वित्तिय सुविधा के लिए आवेदन किया । तत्पश्चात वित्तिय सुविधा आपने दिनांक 8/11/2019 को ऋण अनुबन्ध खाता सख्यां 5418808-.निष्पादित कर रूपये 665000/- कि वितिय सुविधा हाइपोथीकेट वाहन जिसका MAKE-. BOLERO PICK UP_MM_COMM_VEH., VEH.NO-RJ18GB8389, ENGIN_NO-TBK1K84071, CHACHIS_NO. .K1K78553 पर प्राप्त की है।
- यह कि आपके अनुरोध पर, आर.बी.आई के निर्दाशनुसार, कम्पनी के द्वारा आपकों 2 महिनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करनें की समयाविध में वृद्वि हो गई थी। 12094/- रूपयें की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर कुल वित्तिय सुविधा 677094 /-रूपयें की हो गई थी।
- यह कि उपरोक्त वर्णित ऋण अनुबंध की शर्तोनुसार आपके द्वारा प्राप्त की गई वित्तिय सुविधा की अदायगी कम्पनी को रूपये 22102/- कि 39 नियमित मासिक / स्ट्रक्चर्ड किश्तो में करनी थी एवं जब तक उपरोक्त वाहन पर ली गयी ऋण राशि की सम्पूर्ण अदायगी नहीं कर दी जाती है तब तक उक्त वाहन कम्पनी के पास हाइपोथीकेट रहेगा तथा कम्पनी द्वारा उक्त वाहन की मांग किये जाने पर आप द्वारा निरीक्षण करवाया जायेगा।
- यह कि उपरोक्त वर्णित ऋण अनुबधं में आप SUMER JI C/O SUKHDEV ऋणी एवं सहऋणी कम संख्या. 01 SUNITA KUMARI C/O SUMER SINGH एवं सहऋणी कम संख्या. 02 NIL एवं NIL सहऋणी कम संख्या. 03 एवं गारण्टर कम संख्या. 01 HEERA SINGH C/O AMAR SINGH एवं गारण्टर कम संख्या. 02 NIL एवं गारण्टर कम संख्या. 03 NIL है जोिक ऋण अनुबधं के पेटे सम्पूर्ण राशि की अदायगी के लिए सयुक्त एवं पृथक—पृथक रूप से उतरदायी है।
- यह कि हमे आपको सूचित करते हुए खेद है कि ऋण अनुबधं की नियम व शर्तो से अवगत होते हुए भी आपके द्वारा ऋण राशि की अदायगी में चूक कारित कर अनुबधं की शर्तो को भंग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी कम्पनी के निरतंर अनुरोध पर भी आप हाइपोथीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने में विफल रहे है।
- यह कि प्रार्थी कम्पनी के कर्मचारी द्वारा आपके घर एवं ऑफिस के पते पर जाकर बार-बार ऋण की बकाया राशि की मांग करने व उरोक्त वर्णित हाइपोथीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने हेतु निवेदन के बावजूद भी ना तो आपने बकाया राशि की अदायगी की और ना ही वाहन का भौतिक निरिक्षण करवाया है। यह कि आपके कपटपूर्ण धोखेबाजी वाली दुर्भावना के कारण आप स्वयं के नियत उतरदायित्व को नहीं निभा पा रहे हो जिसके कारण कम्पनी को अपने व्यापार में अपार क्षति उठानी पड रही है।

अतः आपको इस सुचना पत्र के जिरये सूचित किया जाता हैं कि कम्पनी द्वारा उपरोक्त वर्णित ऋण सुविधा को तुरंत प्रभाव से वापस (Loan Recall) लिया जाता है और आपके जिम्मे इस नोटिस को जारी करने की दिनांक तक 80124/- रूपये बकाया राशी की मांग की जाती है। उपरोक्त राशी की अदायगी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार है एवं इसके अतिरिक्त हाइपोथीकेट वाहन पर आपका कब्जा भी अवैध हो गया है जिसे कम्पनी को वापस लौटने का उत्तरदायित्व भी आपका है एवं कम्पनी को भी ऋण अनुबंध की शर्तोनुसार हाइपोथीकेट वाहन को स्वयं के आधिपत्य में प्राप्त करने के समस्त अधिकार निहित है व कम्पनी उक्त वाहन को अपने अधिपत्य में ले लेगी।

अतः आपको एतद्द्वारा चेतावनी दि जाती है कि इस सुचना पत्र दिनांक के 7 दिवस के भीतर उपरोक्त कि पालना करे अन्यथा आपके विरूध अनुबन्ध की शर्तोनुसार एवं कानून के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी जिसके समस्त हर्जे खर्चे एवमं परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अतः आप सूचित रहे।

Conta

भवदीय अधिकृत हस्ताक्षरकता एसके फाइनेंस लि (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) (जी—1 एवं जी—2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)

ऋण वापसी / प्रत्याह्वान सूचना पत्र



दिनाक :- 15-Feb-23

ूबनाम

Ref. No.: 5418808/LRN/2022

* R M 5 6 9 1 3 6 8 8 5 I N *

SUNITA KUMARI C/O SUMER SINGH

CO-BORROWER

WARD NO.08, BHUKANA JHUNJHUNU RAJASTHAN 297, WARD NO.08, Jhunjhunu Jhunjhunu 333026 Rajasthan

(Borrower):- SUMER JI C/O SUKHDEV

BHUKANA JHUNJHUNU 874, JHUNJHUNU, JHUJHUNU JHUJHUNU 332746 Rajasthan

(Co-Borrower 01):-SUNITA KUMARI C/O SUMER SINGH

WARD NO.08, BHUKANA JHUNJHUNU RAJASTHAN 297 WARD NO.08 Jhunjhunu Jhunjhunu 333026 Rajasthan

(Co-Borrower 02):- NIL (Co-Borrower 03):- NIL

(GTR 01):- HEERA SINGH C/O AMAR SINGH

SHRI AMARPURA KITHANA JHUNJHUNU 297, SHRI AMARPURA, Jhunjhunu, Jhunjhunu 333028 Rajasthan

(GTR 02):-NIL (GTR 03):-NIL महोदय / महोदया,

यह कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा आज दिनांक से पूर्व मे दिया गया लोन रीकोल नोटिस निरस्त करते हुए उक्त नोटिस प्रेषित कर आपको इस ऋण वापसी बाबत सुचना पत्र के जरिये प्रार्थी कंपनी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रिज. कार्यलय जी01 जी 02 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से निम्न प्रकार सूचित एवं आगाह किया जाता है—

- यह कि प्रार्थी एक गैर बैकिंग विस्तिय कंपनी है जो विभिन्न प्रकार की विस्तिय सुविधा उपलब्ध करवाती है व कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है ।
- यह कि आपने स्वयं की जरूरतों के संदर्भ में ऋण पर वित्तिय सुविधा लेने हेतु कंपनी से सम्पर्क कर वित्तिय सुविधा के लिए आवेदन किया । तत्पश्चात वित्तिय सुविधा आपने दिनांक 8/11/2019 को ऋण अनुबन्ध खाता सख्यां 5418808-.निष्पादित कर रूपये 665000/- कि वितिय सुविधा हाइपोथीकेट वाहन जिसका MAKE-. BOLERO PICK UP_MM_COMM_VEH., VEH.NO-RJ18GB8389, ENGIN_NO-TBK1K84071, CHACHIS_NO. .K1K78553 पर प्राप्त की है।
- यह कि आपके अनुरोध पर, आर.बी.आई के निर्देशनुसार, कम्पनी के द्वारा आपकों 2 महिनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करनें की समयाविध में वृद्धि हो गई थी। 12094/- रूपयें की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर कुल वित्तिय सुविधा 677094 /-रूपयें की हो गई थी।
- यह कि उपरोक्त वर्णित ऋण अनुबंध की शर्तोनुसार आपके द्वारा प्राप्त की गई वित्तिय सुविधा की अदायगी कम्पनी को रूपये 22102/- कि 39 नियमित मासिक / स्ट्रक्चर्ड किश्तो में करनी थी एवं जब तक उपरोक्त वाहन पर ली गयी ऋण राशि की सम्पूर्ण अदायगी नहीं कर दी जाती है तब तक उक्त वाहन कम्पनी के पास हाइपोथीकेट रहेगा तथा कम्पनी द्वारा उक्त वाहन की मांग किये जाने पर आप द्वारा निरीक्षण करवाया जायेगा।
- यह कि उपरोक्त वर्णित ऋण अनुबधं में आप SUMER JI C/O SUKHDEV ऋणी एवं सहऋणी कम संख्या. 01 SUNITA KUMARI C/O SUMER SINGH एवं सहऋणी कम संख्या. 02 NIL एवं NIL सहऋणी कम संख्या. 03 एवं गारण्टर कम संख्या. 01 HEERA SINGH C/O AMAR SINGH एवं र्वारण्टर कम संख्या. 02 NIL एवं गारण्टर कम संख्या. 03 NIL है जोकि ऋण अनुबधं के पेटे सम्पूर्ण राशि की अदायगी के लिए सयुक्त एवं पृथक—पृथक रूप से उतरदायी है।
- यह कि हमे आपको सूचित करते हुए खेद है कि ऋण अनुबंध की नियम व शर्तो से अवगत होते हुए भी आपके द्वारा ऋण राशि की अदायगी में चूक कारित कर अनुबंध की शर्तो को भंग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी कम्पनी के निरतंर अनुरोध पर भी आप हाइपोधीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने में विफल रहे है।
- यह कि प्रार्थी कम्पनी के कर्मचारी द्वारा आपके घर एवं ऑफिस के पते पर जाकर बार-बार ऋण की बकाया राशि की मांग करने व उरोक्त वर्णित हाइपोथीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने हेतु निवेदन के बावजूद भी ना तो आपने बकाया राशि की अदायगी की और ना ही वाहन का भौतिक निरिक्षण करवाया है। यह कि आपके कपटपूर्ण धोखेबाजी वाली दुर्भावना के कारण आप स्वयं के नियत उतरदायित्व को नहीं निभा पा रहे हो जिसके कारण कम्पनी को अपने व्यापार में अपार क्षति उठानी पड रही है।

अतः आपको इस सुचना पत्र के जिरये सूचित किया जाता हैं कि कम्पनी द्वारा उपरोक्त वर्णित ऋण सुविधा को तुरंत प्रभाव से वापस (Loan Recall) लिया जाता है और आपके जिम्मे इस नोटिस को जारी करने की दिनांक तक 80124/- रूपये बकाया राशी की मांग की जाती है। उपरोक्त राशी की अदायगी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार है एवं इसके अतिरिक्त हाइपोथीकेट वाहन पर आपका कब्जा भी अवैध हो गया है जिसे कम्पनी को वापस लौटने का उत्तरदायित्व भी आपका है एवं कम्पनी को भी ऋण अनुबंध की शर्तोनुसार हाइपोथीकेट वाहन को स्वयं के आधिपत्य में प्राप्त करने के समस्त अधिकार निहित है व कम्पनी उक्त वाहन को अपने अधिपत्य में ले लेगी।

अतः आपको एतद्द्वारा चेतावनी दि जाती है कि इस सुचना पत्र दिनांक के 7 दिवस के भीतर उपरोक्त कि पालना करे अन्यथा आपके विरूध अनुबन्ध की शर्तोनुसार एवं कानून के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी जिसके समस्त हर्जे खर्चे एवमं परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अतः आप सृचित रहे।

Conta

भवदीय अधिकृत हस्ताक्षरकता एसके फाइनेंस लि (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) (जी–1 एवं जी–2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)

158

ऋण वापसी / प्रत्याह्वान सूचना पत्र



ूबनाम

Ref. No.: 5418808/LRN/2022

* R M 5 6 9 1 3 6 8 9 9 I N *

दिनाक — 15-Feb-23

12

HEERA SINGH C/O AMAR SINGH GTR SHRI AMARPURA KITHANA JHUNJHUNU 297, SHRI AMARPURA, Jhunjhunu Jhunjhunu 333028 Rajasthan

(Borrower):- SUMER JI C/O SUKHDEV

BHUKANA JHUNJHUNU 874, JHUNJHUNU, JHUJHUNU JHUJHUNU 332746 Rajasthan

(Co-Borrower 01):-SUNITA KUMARI C/O SUMER SINGH

WARD NO.08, BHUKANA JHUNJHUNU RAJASTHAN 297 WARD NO.08 Jhunjhunu Jhunjhunu 333026 Rajasthan

(Co-Borrower 02):- NIL (Co-Borrower 03):- NIL

(GTR 01):- HEERA SINGH C/O AMAR SINGH

SHRI AMARPURA KITHANA JHUNJHUNU 297, SHRI AMARPURA, Jhunjhunu, Jhunjhunu 333028 Rajasthan

(GTR 02):-NIL (GTR 03):-NIL महोदय / महोदया,

यह कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा आज दिनांक से पूर्व मे दिया गया लोन रीकोल नोटिस निरस्त करते हुए उक्त नोटिस प्रेषित कर आपको इस ऋण वापसी बाबत सुचना पत्र के जरिये प्रार्थी कंपनी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रिज. कार्यलय जी01 जी 02 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से निम्न प्रकार सूचित एवं आगाह किया जाता है—

- यह कि प्रार्थी एक गैर बैकिंग विस्तिय कंपनी है जो विभिन्न प्रकार की विस्तिय सुविधा उपलब्ध करवाती है व कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है ।
- यह कि आपने स्वयं की जरूरतों के संदर्भ में ऋण पर वित्तिय सुविधा लेने हेतु कंपनी से सम्पर्क कर वित्तिय सुविधा के लिए आवेदन किया । तत्पश्चात वित्तिय सुविधा आपने दिनांक 8/11/2019 को ऋण अनुबन्ध खाता सख्यां 5418808-.निष्पादित कर रूपये 665000/- कि वितिय सुविधा हाइपोथीकेट वाहन जिसका MAKE-. BOLERO PICK UP_MM_COMM_VEH., VEH.NO-RJ18GB8389, ENGIN_NO-TBK1K84071, CHACHIS_NO. .K1K78553 पर प्राप्त की है।
- यह कि आपके अनुरोध पर, आर.बी.आई के निर्दाशनुसार, कम्पनी के द्वारा आपकों 2 महिनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करनें की समयाविध में वृद्वि हो गई थी। 12094/- रूपयें की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर कुल वित्तिय सुविधा 677094 /-रूपयें की हो गई थी।
- यह कि उपरोक्त वर्णित ऋण अनुबंध की शर्तोनुसार आपके द्वारा प्राप्त की गई वित्तिय सुविधा की अदायगी कम्पनी को रूपये 22102/- कि 39 नियमित मासिक / स्ट्रक्चर्ड किश्तो में करनी थी एवं जब तक उपरोक्त वाहन पर ली गयी ऋण राशि की सम्पूर्ण अदायगी नहीं कर दी जाती है तब तक उक्त वाहन कम्पनी के पास हाइपोथीकेट रहेगा तथा कम्पनी द्वारा उक्त वाहन की मांग किये जाने पर आप द्वारा निरीक्षण करवाया जायेगा।
- यह कि उपरोक्त वर्णित ऋण अनुबधं में आप SUMER JI C/O SUKHDEV ऋणी एवं सहऋणी कम संख्या. 01 SUNITA KUMARI C/O SUMER SINGH एवं सहऋणी कम संख्या. 02 NIL एवं NIL सहऋणी कम संख्या. 03 एवं गारण्टर कम संख्या. 01 HEERA SINGH C/O AMAR SINGH एवं गारण्टर कम संख्या. 02 NIL एवं गारण्टर कम संख्या. 03 NIL है जोिक ऋण अनुबधं के पेटे सम्पूर्ण राशि की अदायगी के लिए सयुक्त एवं पृथक—पृथक रूप से उतरदायी है।
- यह कि हमें आपको सूचित करते हुए खेद है कि ऋण अनुबंध की नियम व शर्तों से अवगत होते हुए भी आपके द्वारा ऋण राशि की अदायगी में चूक कारित कर अनुबंध की शर्तों को भंग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी कम्पनी के निरतंर अनुरोध पर भी आप हाइपोधीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने में विफल रहे है।
- यह कि प्रार्थी कम्पनी के कर्मचारी द्वारा आपके घर एवं ऑफिस के पते पर जाकर बार-बार ऋण की बकाया राशि की मांग करने व उरोक्त वर्णित हाइपोथीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने हेतु निवेदन के बावजूद भी ना तो आपने बकाया राशि की अदायगी की और ना ही वाहन का भौतिक निरिक्षण करवाया है। यह कि आपके कपटपूर्ण धोखेबाजी वाली दुर्भावना के कारण आप स्वयं के नियत उतरदायित्व को नहीं निभा पा रहे हो जिसके कारण कम्पनी को अपने व्यापार में अपार क्षति उठानी पड रही है।

अतः आपको इस सुचना पत्र के जिरये सूचित किया जाता हैं कि कम्पनी द्वारा उपरोक्त वर्णित ऋण सुविधा को तुरंत प्रभाव से वापस (Loan Recall) लिया जाता है और आपके जिम्मे इस नोटिस को जारी करने की दिनांक तक 80124/- रूपये बकाया राशी की मांग की जाती है। उपरोक्त राशी की अदायगी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार है एवं इसके अतिरिक्त हाइपोथीकेट वाहन पर आपका कब्जा भी अवैध हो गया है जिसे कम्पनी को वापस लौटने का उत्तरदायित्व भी आपका है एवं कम्पनी को भी ऋण अनुबंध की शर्तोनुसार हाइपोथीकेट वाहन को स्वयं के आधिपत्य में प्राप्त करने के समस्त अधिकार निहित है व कम्पनी उक्त वाहन को अपने अधिपत्य में ले लेगी।

अतः आपको एतद्द्वारा चेतावनी दि जाती है कि इस सुचना पत्र दिनांक के 7 दिवस के भीतर उपरोक्त कि पालना करे अन्यथा आपके विरूध अनुबन्ध की शर्तोनुसार एवं कानून के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी जिसके समस्त हर्जे खर्चे एवमं परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अतः आप सूचित रहे।

Conta

भवदीय अधिकृत हस्ताक्षरकता एसके फाइनेंस लि (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) (जी—1 एवं जी—2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)